संख्या- 51/2025/001-645-1395153-12-2099-117-2021

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 जून, 2025

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान के लेखाशीर्षक 2402 मृदा तथा जल संरक्षण-101 मृदा संरक्ष्जीण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादित प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शो0एवंसर्वे0/26/जैव कल्चर/वित्तीय स्वीकृति/2025-26 दिनांक 15.04.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रूपये 402.00 लाख के सापेक्ष अधोलिखित विभिन्न मानक मदवार वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2025-25 में प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
02-मजदूरी	31.00	29.00
27-सब्सिडी	138.00	0.00
29-अनुरक्षण	10.00	10.00
42-अन्य व्यय	8.00	7.46
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	200.00	200.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.00	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योग	402.00	261.46

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1.स्वीकृत धनराशि का व्ययय सुसंगत वित्ती य नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2.स्वीकृत धनराशि का व्ययय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशो/गाइडलाइन्सा एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्याचर्तन किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

5. निर्गत वितीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निखार्दन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वितीय नियम संग्रहाँ तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर भी जाय।

8. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

9. योजना के क्रियान्वयन के दौरान क्रय से सम्बान्धित प्रक्रियाओं/संगत शासनादेशों/नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

11. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. स्वीककृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402001010500 (जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	**प्रस्तावित धनराशि**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	02 मजदूरी	29,00,000 (रुपये उनतीस लाख मात्र)
2	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	7,46,000 (रुपये सात लाख छियालीस हजार मात्र)
4	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
5	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			**2,61,46,000** **(रुपये दो करोड़ इकसठ लाख छियालीस हजार मात्र)**

महायोग	2,61,46,000(रुपये दो करोड़ इकसठ लाख छियालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 51 /2025/001-645-1395153-12-2099-117-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) - प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
6. वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / बजट अनुभाग-1/2 / कृषि अनुभाग - 5 / नियोजन अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।